

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल।

पत्रांक:794...../

अरवल, दिनांक:.....15.06.2024/

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरवल।

सेवा में,

श्रीमति रिभा कुमारी
ग्राम— बारा, पो0—बारा कोरियम, जिला— अरवल
पिन न0— 804401

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत PURAINIA ROAD to MOHAR BIGHA पथ का सत्त
पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

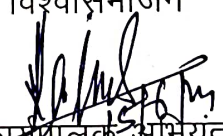
महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि आपको एकरारनामा के अनुसार पथ का पंचवर्षीय सत्त अनुरक्षण कार्य कराया जाना है। परन्तु आपके द्वारा एकरारित पथ का सत्त अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है जो स्पष्ट रूप से एकरारनामा का उलंघन है। पूर्व में कई बार मौखिक एवं लिखित सूचना आपको दी गई है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पथ का अनुरक्षण कार्य हर हालत में सात दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करें अन्यथा एकरारनामा के सुसंगत कण्डिकाओं के आलोक में आपके एकरारनामा को विखण्डित करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा कर विभाग में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी जायेगी तथा अनुरक्षण कार्य में लगे लागत की वसूली आपके जमानत राशि से कर ली जायेगी।

इसे अतिआवश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरवल।
15/6/24